न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 43 / 2024 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024 / 90**
दायर दिनांक :– 14.05.2024 **निर्णय दिनांक :– 04.11.2024**

1. गेम्पर राम पुत्र बगडूराम जाति विश्नोई निवासी जाम्बा की ढाणी तहसील बाप जिला फलोदी
वादी..........

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी (राज.)
प्रतिवादी.....

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता वादी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:: निर्णय ::–

वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का इस आश्य से पेश किया कि वादी की खरीदशुदा खातेदारी अधिकारों की कृषि भूमि ग्राम जाम्बा की ढाणी पटवार हल्का जाम्बा तहसील बाप के खेत खसरा नम्बर 617 / 4 रकबा 7.2762, ग्राम कृष्णनगरकला पटवार हल्का जाम्बा के खसरा नम्बर 519 / 1 रकबा 6.7663 हैक्टेयर तथा ग्राम ठाकरियानाडा पटवार हल्का जम्बा के खेत खसरा नम्बर 783 रकबा 32.1482 हैक्टेयर स्थित है। वादी ने उक्त भूमि खरीद की थी जिसमें वादी का बचपन का बोलता नाम गोरधनराम पुत्र बगडूराम टंकण किया हुआ है उक्त विक्रय पत्र के आधार पर विक्रय पत्र अनुसार वादी के पक्ष में नामान्तरकरण स्वीकृत हो गया जो वर्तमान जमाबंदी में दर्ज अभिलेख है। लेकिन वादी का सही एवं वास्तविक नाम गेम्पर राम पुत्र बगडूराम है और इसी नाम से वादी के पहचान संबंधित दस्तावेज राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि बने हुवे है और घर परिवार व गांव में भी वादी को वर्तमान में गेम्पर राम पुत्र बगडूराम के नाम से ही जाना व पहचाना जाता है। वादी के नाम से अन्य पैतृक भूमि ग्राम किशननगर के खसरा नम्बर 349 / 277 रकबा 2.5110 हैक्टेयर भूमि स्थित है जिसमें वादी का सही एवं वास्तविक नाम गेम्पर राम पुत्र बगडूराम दर्ज अभिलेख है। लेकिन उक्त वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में वादी का पूर्वानुसार गोरधनराम पुत्र बगडूराम ही दर्ज है। वादी को अपनी खातेदारी की उक्त भूमि पर विकास कार्य, कृषि ऋण साख बनवाने तथा अन्य कार्य करने में वादी का नाम जमाबंदी में गोरधनराम दर्ज होने से भंयकर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिये वादीगण उपरोक्त वर्णित खसरान् की भूमि में अपना सही एवं वास्तविक नाम गेम्पर राम पुत्र बगडूराम के नाम से खातेदार काश्तकार की घोषणा करवाने का [illegible] यह दावा पेश है।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर [illegible] दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवाद को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार [illegible] पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। तहसीलदार बाप ने जवाब में कथन किया कि ग्राम जाम्बा की ढाणी पटवार हल्का जाम्बा तहसील बाप के खेत खसरा नम्बर 617 / 4 रकबा 7.2762, ग्राम कृष्णनगरकला पटवार हल्का

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2025.09.23 14:15:45 IST
Reason: SelfAttested

04.11.24
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

जाम्बा के खसरा नम्बर 519/1 रकबा 6.7663 हैक्टेयर तथा ग्राम ठाकरियानाडा पटवार हल्का जम्बा के खेत खसरा नम्बर 783 रकबा 32.1482 हैक्टेयर भूमि जरिये विक्रय पत्र के वादी के नाम से खरीद की थी। जिसके आधार पर वादी के पक्ष में नामान्तरकरण भरा जाकर माफिक विक्रय पत्र अनुसार स्वीकृत हुआ, जिसमें वादी का नाम माफिक विक्रय पत्र अनुसार गोरधनराम पुत्र बगडूराम दर्ज है जो वर्तमान जमाबंदी में भी चला आ रहा हहै। वाद के साथ पहचान दस्तावेजों में वादी का नाम गेम्पर राम पुत्र बगडूराम है। वादी को साक्ष्य सुनवाई का अवसर देकर वादी का नाम गुणावगुण पर सही किया जाता है तो कोई एतराज नहीं है। इससे किसी प्रकार का राजहित प्रभावित नहीं होगा। प्रतिवादी की और से वाद का विरोध नहीं होने से तनकियात कायम नहीं की गई। वकील वादी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहते है। पत्रावली बहस में रखी गई।

अधिवक्ता वादी एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन, चिन्तन एवं मनन करने पर पाया गया कि जमाबंदी सम्वत 2076–2079 ग्राम जाम्बा की ढाणी पटवार हल्का जाम्बा तहसील बाप के खेत खसरा नम्बर 617/4 रकबा 7.2762, ग्राम कृष्णनगरकला पटवार हल्का जाम्बा के खसरा नम्बर 519/1 रकबा 6.7663 हैक्टेयर तथा ग्राम ठाकरियानाडा पटवार हल्का जम्बा के खेत खसरा नम्बर 783 रकबा 32.1482 हैक्टेयर भूमि स्थित है। वादी का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में माफिक विक्रय पत्र अनुसार गोरधनराम पुत्र बगडूराम दर्ज है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, जनआधार कार्ड, बैक डायरी, ग्राम पंचायत जाम्बा द्वारा जारी प्रमाण पत्र, वादी के नाम दर्ज अन्य खेत खसरा की जमाबंदी इत्यादि से साबित है कि वादी का नाम गेम्पराराम पुत्र बगडूराम है। वादी ने अपने वाद को को साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य सबूत पेश किये है। अतः वादी का वाद दस्तावेजात साबित से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

आदेश

उपर्युक्त विवेचनानुसार वाद वादी स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है कि ग्राम जाम्बा की ढाणी पटवार हल्का जाम्बा तहसील बाप के खेत खसरा नम्बर 617/4 रकबा 7.2762, ग्राम कृष्णनगरकला पटवार हल्का जाम्बा के खसरा नम्बर 519/1 रकबा 6.7663 हैक्टेयर तथा ग्राम ठाकरियानाडा पटवार हल्का जम्बा के खेत खसरा नम्बर 783 रकबा 32.1482 हैक्टेयर भूमि में वादी के राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज नाम गोरधनराम पुत्र बगडूराम के स्थान पर गेम्पर राम पुत्र बगडूराम के नाम से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष प्रविष्टयां यथावत रहेगी। तहसीलदार बाप माफिक आदेश राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद कर पालना करे। डिकी पर्चा अलग से मुर्तिब हो। मिसल फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.11.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायाल[illegible] सु[illegible] गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2025.09.23 14:15:45 IST
Reason: SelfAttested

(सु[illegible] पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मुकाम बाप

बइजलास पीठासीन अधिकारी सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

1. गेम्परराम पुत्र बगडूराम जाति विश्नोई निवासी जाम्बा की ढाणी तहसील बाप जिला फलोदी **वादी**..........

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी (राज.) **प्रतिवादी**.....

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मुकदमा संख्या :– 43/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे सुखाराम पिण्डेल पीठासीन अधिकारी व हाजिर राजेन्द्रसिंह सोंलकी मिनजानिब मुदई व पैरोकार सरकार मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि ग्राम जाम्बा की ढाणी पटवार हल्का जाम्बा तहसील बाप के खेत खसरा नम्बर 617/4 रकबा 7.2762, ग्राम कृष्णनगरकला पटवार हल्का जाम्बा के खसरा नम्बर 519/1 रकबा 6.7663 हैक्टेयर तथा ग्राम ठाकरियानाडा पटवार हल्का जम्बा के खेत खसरा नम्बर 783 रकबा 32.1482 हैक्टेयर भूमि में वादी के राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज नाम गोरधनराम पुत्र बगडूराम के स्थान पर गेम्परराम पुत्र बगडूराम के नाम से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष प्रविष्टयां यथावत रहेगी। तहसीलदार बाप माफिक आदेश राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद कर पालना करे।नीचे

मुतालिक
खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर
वसूल याबी तक

बाबत्
फीस सदी सालाना आज की तारीख
को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 04.11.2024 को जारी की गई।

(सुखाराम पिण्डेल R.A.S.)
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

सहायक कलेक्टर बाप (फलोदी)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुत्फर्कि		
मिजान			मिजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2025.09.23 14:15:45 IST
Reason: SelfAttested